भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2963

गुरूवार, 13 अगस्त, 2026 / 22 श्रावण, 1948 (शक)

गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों हेतु सामाजिक सुरक्षा

2963. श्री गोला बाबूरावः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सामाजिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत बनाए गए नियमों को हाल ही में अधिसूचित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि गिग और प्लेटफार्म कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने के लिए एक एग्रीगेटर के साथ कम से कम 90 दिनों तक कार्य करना पड़ता है; और

(घ) एग्रीगेटर द्वारा गिग या प्लेटफॉर्म कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभों के उनके देय अंश का भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में एग्रीगेटर पर क्या जुर्माना लगाया जाएगा?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अधीन बनाए गए सामाजिक सुरक्षा (केंद्रीय) नियम, 2026 को दिनांक 08.05.2026 की सा.का.नी. संख्या 344(अ) के तहत अधिसूचित किया गया है।

यह नियम, गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों को औपचारिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। ये नियम केंद्र सरकार के पोर्टल पर गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के पंजीकरण को अनिवार्य करके, एग्रीगेटर्स के लिए एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से कामगार-संबंधी डेटा साझा करना आवश्यक बनाकर, सामाजिक सुरक्षा हितलाभों के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित करके, और ऐसे कामगारों के लिए कल्याणकारी उपायों के संबंध में एग्रीगेटर्स की जवाबदेही को सुदृढ़ बनाकर के संहिता के प्रावधानों को क्रियान्वित करते हैं।

नियमों के अनुसार, गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए संहिता के अधीन बनाई गई किसी भी योजना के अंतर्गत किसी भी हितलाभ के पात्र होने के लिए, केंद्र सरकार अपने नामोदिष्ट पोर्टल पर पंजीकरण के अतिरिक्त, सामान्य या विशेष आदेश के माध्यम से पात्रता के लिए विशिष्ट शर्तें अधिसूचित कर सकती है बशर्ते कि ऐसा पात्र कामगार पिछले वित्तीय वर्ष में किसी एक एग्रीगेटर के साथ कम से कम नब्बे दिनों तक, या एक से अधिक एग्रीगेटर्स के मामले में, कम से कम एक सौ बीस दिनों तक गिग और प्लेटफॉर्म कामगार के रूप में कार्यरत रहा हो

जारी..2/-

संहिता गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए जीवन और नि:शक्तता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधाओं, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित मामलों पर उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बनाने का उपबंध करती है। संहिता इन कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक सामाजिक सुरक्षा निधि स्थापित करने का प्रावधान करती है, जिसका एक स्रोत एग्रीगेटर्स से प्राप्त अंशदान है, जो किसी एग्रीगेटर द्वारा ऐसे कामगारों को भुगतान की गई या देय राशि के 5% की सीमा के अध्यधीन, उसके वार्षिक टर्नओवर का 1 से 2% तक अंशदान होता है।

नियमों के अनुसार, यदि कोई एग्रीगेटर केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सामाजिक सुरक्षा निधि में निर्धारित अंशदान का भुगतान करने में विफल रहता है, तो एग्रीगेटर अंशदान देय होने की तारीख से लेकर वास्तविक भुगतान की तारीख तक की अवधि के लिए प्रत्येक महीने या उसके किसी भाग के लिए एक प्रतिशत की दर पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
